राजस्थान–सरकार

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे,बनीपार्क,जयपुर।

क्रमांक एफ.58 / कम्प / यूजर मैनेजमेंट / 2011 / दिनांकः 20.09.2013

आहरण एवं वितरण अधिकारियों हेतु निर्देश :–

1. **एम्प्लॉई मास्टर डाटा में जो सूचनाएं प्रदर्शित की जा रही है वे आपके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराएं गये फार्मेट के अनुसार है जिसमें अब कई परिवर्तन संभव है।** अतः आप अपने अधीनस्थ राज्य कर्मचारियों के सेवाभिलेख / अन्य रिकार्ड / दस्तावेजों से मास्टर एम्प्लॉई मॉडयूल में यथा आवश्यक सूचनाओं को संशोधित / परिवर्तित कर अद्यतन करावें ताकि मास्टर डाटा सही एवं प्रमाणिक हो सके।

2. **एसआईपीएफ पोर्टल एवं पे–मैनेजर पोर्टल का शीर्घ ही इन्टीग्रेशन होने जा रहा है फलतः दोनों पोर्टल में एम्प्लॉई आईडी एक रूप होनी आवश्यक है।** यदि आपके द्वारा किसी भी कर्मचारी की भिन्न–भिन्न या डुप्लीकेट एम्प्लॉई आईडी उपयोग में ली जा रही है तो पूर्ण विवरण के साथ इस विभाग के स्थानीय कार्यालय से सम्पर्क कर यथा शीघ्र दुरूस्त करावे अन्यथा राज्य कर्मचारी की कटौतियॉ एक जगह संग्रहित नहीं हो पायेगी।

3. राज्य सरकार के निर्देशानुसार जीपीएफ योजना के कटौती पत्र एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट कराये जा रहे है जिससे यथा शीघ्र एवं शुद्ध रूप में कटौतियों का कर्मचारी के खातों में अविलम्ब समायोजित हो जाता है। **अतः जीपीएफ योजना के कटौती पत्र आवश्यक रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट करावे।**

4 दिनांक 1.1.2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को एनपीएस कटौतियों के लिये एनएसडीएल द्वारा प्रान नम्बर जारी किये गये है दूसरी ओर इस विभाग द्वारा एम्प्लॉई आईडी जारी की गई है। **अतः एम्प्लॉई आईडी एवं प्रान को भी शीघ्र मैच कराया जावे, ताकि एनपीएस की कटौतियॉ भी ऑनलाईन प्रारंभ की जा सके।**

5. राज्य बीमा योजना में विभाग द्वारा समस्त बीमेदारों के दिनांक 1.4.2012 तक के बीमानुबन्ध जारी किये जाने के पूर्ण प्रयास किये गये है फिर भी **यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो प्रमाणित रिकार्ड के साथ विभाग के स्थानीय कार्यालय में सम्पर्क करे ताकि उसे दुरूस्त किया जा सके।**

6. प्रावधायी निधि योजना में प्रत्येक अंशदाता के प्रथम नियुक्ति से दिनांक 31.3.2012 तक का रिकार्ड पूर्ण किये जाने का प्रयास किया गया है। चूंकि राज्य कर्मचारी अपने सेवाकाल में एक से अधिक जिलों / आहरण एवं वितरण अधिकारियों के यहॉ पदस्थापित रहते है तथा कई बार खाता संख्या भी गलत हो जाते हैं। अतः **संभव है कि कर्मचारी की सभी कटौतियों का समायोजन नहीं हो पाया हो यदि ऐसी स्थिति हो तो कृपया गैप्स अवधि का प्रमाणिक रिकार्ड विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय में भिजवावे ताकि कर्मचारी का खाता पूर्ण किया जा सके।**

7. **प्रावधायी निधि योजना में डेबिट शिडयूल में तथा इस विभाग से किये जाने वाले समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार में एम्प्लॉई आईडी का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जावे।**